

उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग-9
संख्या-/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादून: दिनांक 28 दिसम्बर, 2006
अधिसूचना

चंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतः भारतीय अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन अधिसूचना संख्या- 62/XXVII(9)/(06/स्टाम्प-विधि)/05/2006, दिनांक 13.02.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्य के लिये दिनांक 31.12.2006 से दिनांक 30.12.2007 तक रूपये 3,00,000 (रूपये तीन लाख मात्र) तक ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या- (1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिला-निबन्धक, उत्तरांचल।
5. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस रूडकी को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200-200 प्रतियाँ शासन के वित्त अनुभाग-9 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।